दिनांक 06.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 02 लाख 37 हजार 300 रूपये नगद**
- **लूट के 01 किलो 600 ग्राम सफेद धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05.07.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उदईपुर पानी टंकी के आगे अमरौधा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–योगेश कुमार उर्फ भोला 2–हर्षित उर्फ राज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के माल बिक्री के 02 लाख 37 हजार 300 रूपये नगद, लूट के 01 किलो 600 ग्राम सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.07.2025 को थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—योगेश कुमार उर्फ भोला निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

2—हर्षित उर्फ राज निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

3—अजय निवासी मिर्जामण्डी थाना कालपी जनपद जालौन।

बरामदगी

1—लूट के माल बिक्री के 02 लाख 37 हजार 300 रूपये नगद।

2—लूट के 01 किलो 600 ग्राम सफेद धातु के आभूषण।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस—3

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.07.2025 को थाना फेस—3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—61 कट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवा उर्फ शिवकुमार उर्फ लखविन्दर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा उर्फ शिवकुमार उर्फ लखविन्दर निवासी हरि किरत नगर समाला चौक थाना समाला चौक जनपद लुधियाना पंजाब, हालपता बदरपुर बॉर्डर पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बांदा/थाना मटौंध

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–150.05 ग्राम, सफेद–600–44 ग्राम) धातु**
- **चोरी के 21 हजार 55 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.07.2025 को थाना मटौंध, थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरार स्टेशन के पास बदमाशो की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मोहसिन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–हारून 3–इमरान 4–मो0नूरूद्दीन 5–फारूक 6–मनोज 7–इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–150.05 ग्राम, सफेद–600–44 ग्राम) धातु, चोरी के 21 हजार 55 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हारून शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, बांदा के विभिन्न थानो में चोरी, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, (पीली–सफेद) धातु आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहसिन निवासी अब्दुल्ला खुर्द थाना लोधीनगर जनपद बागपत।

2–हारून निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

3–इमरान निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

4–मो0नूरूद्दीन निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

5–फारूक निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

6–मनोज निवासी कुचेसर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

7–इस्लामुद्दीन निवासी खेड़ी कुरेरा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–150.05 ग्राम, सफेद–600–44 ग्राम) धातु।

2–चोरी के 21 हजार 55 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी की 15 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.07.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1–समीर उर्फ शेरा 2–नौशाद उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–अनमोल 4–आदित्य 5–असद उर्फ चाँद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी की 15 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भोले–भाले लोगो को रूपयों का लालच देकर उनके आधार कार्ड, आईडी कार्ड व फोटो लेकर उनके नाम पर फाईनेन्स कम्पनी से लोन कराकर मोटर साइकिल खरीद कर दूसरे राज्यों में बेच कर धोखाधड़ी की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर उर्फ शेरा निवासी गुर्जरवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2–नौशाद उर्फ भूरा निवासी रांगडों का पुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3–अनमोल निवासी शिव कॉलोनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

4–आदित्य निवासी शास्त्री विहार चिलकाना रोड थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

5–असद उर्फ चाँद निवासी देवबन्द पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी की 15 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 12 लाख रूपये कीमत के 720 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 टक आदि बरामद**

दिनांक 06.07.2025 को थाना अलीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–19 सिन्धीताली पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 12 लाख रूपये कीमत के 720 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुखदेव निवासी ग्राम चम्बाखुर्द खादूर शाहीब थाना सरहाली जनपद तरनतारन पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 12 लाख रूपये कीमत के 720 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक आदि।

————————